नगर पंचायत भुन्तर, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 4/2011 से 3/2015
भाग–एक

1. (क) प्रारम्भिक :–

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255(1) मे संशोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्याः 1–376/81–फिन(एल0ए0)–खण्ड–iv, दिनांक 16.10.2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत नगर पंचायत भुन्तर, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान आहरण एवं वितरण अधिकारी के पद पर निम्नलिखित प्रधान व कार्यकारी अधिकारी कार्यरत रहे :–

प्रधान :

क्र0 सं0	नाम	अवधि
1.	श्री बलजीत डोगरा	4/2011 से 31.3.2015

कार्यकारी अधिकारी :

क्र0 सं0	नाम	अवधि
1.	श्री मोहिन्द्र ठाकुर	4/2011 से 31.3.2015

(ख) नगर पंचायत भुनतर के लेखाओं अवधि 4/2011 से 3/2015 के अंकेक्षण में पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार :–

क्र0 सं0	गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	पैरा सं0	राशि (लाखों में)
1.	दिनांक 31.3.2015 को अनुदान की अनुपयुक्त राशि	6.2	157.17
2.	गृहकर की वसूली योग्य शेष राशि	7	18.08
3.	दुकानों के किराये की वसूली योग्य शेष राशि	8	79.17
4.	तहबजारी शुल्क की वसूली योग्य शेष राशि	9	18.58
5.	सफाई शुल्क की वसूली योग्य शेष	10	2.37
6.	पारिवारिक पैन्शन का अधिक भुगतान	12 व 12.1	4.77
7.	आयकर व विक्रय कर की कटौती को सरकारी कोष में जमा न करने बारे	14	1.27
8.	Through rate tender में स्टील की wastage दर्शाकर संविदाकार को अधिक भुगतान	16	0.24

9.	औपचारिक्ताऐं पूर्ण न कर अनियमित खरीद करना	17	2.37
10.	मेला ग्राऊण्ड की लेबलिंग पर अनियमित व्यय करना	18	3.04
11.	तहबाजारी शुल्क एकत्रीकरण वार्षिक ठेके की राशि की वसूली न करना	21	5.30
12.	दिनांक 31.3.2015 तक अस्थाई अग्रिम समायोजन शेष	22	7.50

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :–

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के पैरों पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट–"अ"** पर दर्शाई गई है। प्रायः यह देखने में आया है कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर नगर पंचायत द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई थी जो अत्यन्त चिन्ता का विषय है। अतः नगर पंचायत इन लम्बित पैरों के निपटारे हेतु विशेष अभियान/कार्रवाई सुनिश्चित करें व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण सम्भव हो सके।

भाग–दो

2. वर्तमान अंकेक्षण :–

नगर पंचायत भुन्तर के लेखाओं अवधि 4/2011 से 3/2015 का अंकेक्षण श्री चन्द्रेश हाण्डा, सहायक नियन्त्रक लेखा परीक्षा व श्री ध्रुव राज, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 10.8.2015 से 28.9.2015 के दौरान नगर पंचायत भुन्तर में किया गया। विस्तृत जांच हेतु आय के लिए मास 6/11, 6/12, 6/13 व 6/14 तथा व्यय के लिए माह 8/11, 9/12, 6/13 व 4/14 के लेखाओं का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैरों मे समाविष्ट किया गया है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि इस अंकेक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण नगर पंचायत द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं व अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर किया गया है। नगर पंचायत द्वारा प्रदान की गई किसी भी गलत सूचना एवं सूचना प्रदान न करने के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग का उत्तरदायित्व नहीं होगा क्योंकि अंकेक्षण का कार्य चयनित मासों तक ही सीमित है।

3. अंकेक्षण शुल्क :–

नगर पंचायत भुन्तर जिला कुल्लू के लेखाओं अवधि 4/2011 से 3/2015 तक के अंकेक्षण करने का शुल्क ₹63,800/– आँका गया है। सचिव नगर पंचायत भुन्तर को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः फिन(एल0ए0)(एस0एम0)/680, दिनांक 28.9.15 द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित

बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–09 को भेजने का अनुरोध किया गया। नगर पंचायत द्वारा यह राशि ड्राफ्ट संख्याः 217272, दिनांक 16.10.15 द्वारा निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को भेज दी गई है।

4. वित्तीय स्थिति :–

नगर पंचायत भुन्तर के लेखा अवधि 4/2011 से 3/2015 तक की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :–

<u>वर्ष 2011–12</u>

	आरम्भिक शेष	वर्ष के दौरान कुल प्राप्ति	कुल राशि	व्यय	शेष
स्वः स्त्रोत	8,72,761.71	32,27,939.00	41,00,700.71	33,09,563.00	7,91,137.71
अनुदान	19,63,806.00	50,38,909.00	70,02,715.00	51,76,360.00	18,26,355.00
कुल योग	**28,36,567.71**	**82,66,848.00**	**1,11,03,415.71**	**84,85,923.00**	**26,17,492.71**
वर्ष 2012–13					
स्वः स्त्रोत	7,91,137.71	36,37,277.00	44,28,414.71	38,73,587.00	5,54,827.71
अनुदान	18,26,355.00	76,90,281.00	95,16,636.00	65,21,866.00	29,94,770.00
कुल योग	**26,17,492.71**	**1,13,27,558.00**	**1,39,45,050.71**	**1,03,95,453.00**	**35,49,597.71**
वर्ष 2013–14					
स्वः स्त्रोत	5,54,827.71	39,79,249.00	45,34,076.71	55,96,631.00	(–)10,62,555.71
अनुदान	29,94,770.00	48,66,093.00	78,60,863.00	60,76,742.00	17,84,121.00
योग	**35,49,597.71**	**88,45,342.00**	**1,23,94,939.71**	**1,16,73,373.00**	**7,21,566.71**
वर्ष 2014–15					
स्वः स्त्रोत	10,62,555.71	36,68,334.00	26,05,779.71	17,71,549.00	8,34,230.71
अनुदान	17,84,121.00	2,52,70,029.00	2,70,54,150.00	1,13,37,252.00	1,57,16,898.00
योग	**7,21,566.71**	**2,89,38,363.00**	**2,96,59,929.71**	**1,31,08,801.00**	**1,65,51,128.71**

4.1 बैंक समाधान विवरणी

रोकड़ बही के अनुसार 31.3.2015 को अन्तशेष	1,65,51,128.71
चैक जो जारी किए गए परन्तु 31.3.15 तक भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए (₹848 + ₹848 + ₹2475)	(+) 4,171.00

<u>नोटः</u>– ₹2475 का चैक जनवरी 2014 को जारी किया गया व 31.3.15 तक

बैंक में प्रस्तुत नहीं हुआ यह चैक की राशि पुनः 2.4.2015 को रोकड़ बही में प्राप्ति में दर्शा दी गई है।	
31.3.2015 को चैक द्वारा बैंक में जमा करवाई गई राशियों को दिनांक 20.4. 2015 को प्रविष्टि लेना (₹1,26,000 + ₹5,000)	(–) 1,31,000.00
दिनांक 31.3.15 की आय जो 2.4.15 को बैंक में जमा करवाई गई	(–) 10,104.00
दिनांक 31.3.15 तक रोकड़ बही अनुसार बैंकों में शेष राशि	**1,64,14,195.71**
दिनांक 31.3.15 तक बैंकों में जमा राशि का विवरण :–	
(i) हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक शमशी खाता सं0 51961	1,93,484.00
(ii) यू0बी0आई भुन्तर खाता संख्याः 1000049	1,62,17,979.00
(iii) एस0बी0आई0 भुन्तर खाता संख्याः 725014	2,732.00
	1,64,14,195.00

(अन्तर ₹1,64,14,195.71 – ₹1,64,14,195.00 = ₹0.71)

परिशिष्ट–''क'' में सन्दर्भित विभिन्न खातों के अतिरिक्त नगर पंचायत द्वारा निम्न बैंक खाता भी खोला गया था। इस खाते में किए गए लेनदेन का रख–रखाव बैंक पास बुक के आधार पर किया गया है। इस खाते के लिए किसी भी प्रकार की रोकड़ बही का अनुरक्षण नहीं किया गया है, जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा रोकड़ बही का नियमानुसार रख–रखाव करना सुनिश्चित किया जाए।

बैंक का नाम	खाता संख्या	दिनांक 31.3.15 को शेष	विवरण
के0सी0सी0 भुन्तर	2041022290	1,74,844.00	पैन्शन व अन्य सेवा निवृति लाभ

5. निवेश

(क) पैन्शन व अन्य सेवा निवृति लाभ खाते से राशि ₹11,94,508 को सावधि जमा खाते में निवेशित थी जिसका विवरण **परिशिष्ट–''ख''** में दिया गया है।

(ख) मुख्य रोकड़ बही में से कोई भी राशि सावधि जमा योजना में निवेशित नहीं की गई है।

6. अनुदान

अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार अंकेक्षण अवधि में प्राप्त व व्यय की गई अनुदानों की विवरणी **परिशिष्ट–''ग''** पर दर्शाई गई है। जिस में निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई :–

6.1 अनुदान रजिस्टर

नगर पंचायत द्वारा अनुरक्षित अनुदान अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि अनुदान राशियों के उपयोग को अनुदान रजिस्टर व वर्क रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया था। इस सन्दर्भ में गत अंकेक्षण प्रतिवेदन पैरा संख्याः 6 में भी आपत्ति उठाई गई थी लेकिन पंचायत द्वारा कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई जोकि चिन्ताजनक है। अतः अनुदान रजिस्टर व वर्क रजिस्टर का रख–रखाव न करने का कारण स्पष्ट किया जाए तथा विभिन्न अनुदान राशियों की प्राप्ति व उपयोग के बिल संख्या इत्यादि का महावार विवरण रखा जाए तदोपरान्त ही उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित विभाग को जारी किया जाए तथा वांछित अभिलेख तैयार करने के उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6.2 31.3.2015 को अनुदानों की अनुपयुक्त राशि ₹157.17 लाख

परिशिष्ट–"घ" से स्पष्ट है कि दिनांक 31.3.15 तक अनुदान की राशि ₹1,57,16,898 दिनांक 31.3.2015 तक अनुपयुक्त थी। अनुपयुक्त राशियों का उपयोग इन राशियों को खर्च करने की समय सीमा में बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त उसी उद्देश्य हेतु किया जाए, जिस के लिए इन्हें स्वीकृत किया गया था। अन्यथा राशि का प्रत्यर्पण सम्बन्धित विभाग को किया जाए, अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

7. गृहकर की राशि ₹18.08 लाख की वसूली शेष

अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार दिनांक 31.3.2015 को गृहकर की राशि ₹18,07,599 की वसूली शेष थी जिसका विवरण **परिशिष्ट–"ण"** में दिया गया है। बकाया राशि की वसूली हेतु नगर पंचायत द्वारा कोई ठोस प्रयास नहीं किए गए थे। अतः नगर पंचायत द्वारा इस राशि की वसूली हेतु नियमानुसार उचित कार्यवाही की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7.1 वर्ष 2012–13 के गृहकर की बकाया राशि ₹0.08 लाख को आगामी वर्ष के मांग व एकत्रीकरण रजिस्टर में अग्रेषित न करना

गृहकर मांग व संग्रह रजिस्टर वर्ष 2013–14 के अवलोकन पर पाया गया कि निम्न विवरनानुसार वर्ष 2012–13 की गृहकर की बकाया राशि ₹8,195 को वर्ष 2012–13, वर्ष 2013–14 के गृहकर मांग व संग्रह रजिस्टर में अग्रेषित नहीं किया गया।

अतः बकाया राशियों को अग्रेषित न करने का कारण स्पष्ट किया जाए तथा इन्हें अग्रेषित कर के वसूली सुनिश्चित की जाए। अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्र0 सं0	वार्ड नं0	पृष्ठ सं0	किरायेदार का नाम	बकाया राशि	हस्तांतरित राशि	बकाया राशि
1	IV	43	श्री अर्जुन कुमार	350	150	250
2	IV	62	श्रीमती डोलमा वाउंटी	500	—	500
3	IV	63	श्री छेदन वोध	750	—	750
4	V	79	श्री कल्याण चन्द	1819	—	1819
5		85	दी कुल्लू वैली को0ओ0सौ0	500	—	500
6		89	श्रीमती मितली देवी	375	—	375
7	VI	130	श्री हंस राज	2355	1175	1180
8	VI	155—156	श्री आयोध्या प्रकाश	1390	—	1390
9	VI	151	राजेन्द्र गुप्ता	1071	—	1071
10	VII	182	श्री वीरेन्द्र कुमार	360	—	360
					कुल	**₹8,195**

8. दुकानों के किराये की राशि ₹79.17 लाख की वसूली शेष

अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार दिनांक 31.3.2015 को दुकानों के किराये की राशि ₹79,17,567 की वसूली शेष थी। जिसका विवरण **परिशिष्ट—"च"** में दिया गया है। दुकानों के किराये की वसूली हेतु ठोस कदम उठाये जायें तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8.1 किराये से सम्बन्धित मांग व संग्रह रजिस्टर की जाँच पर पाया गया कि वर्ष 2011—12 व वर्ष 2014—15 के दौरान निम्न किरायेदारों के खातों में वास्तविक वसूल की गई राशि से अधिक किराया राशि को वसूली कॉलम में दिखाया गया था। अतः उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

वर्ष	पृष्ठ संख्या	किरायेदारों का नाम	वर्ष में की गई वसूली	दर्शाई गई वसूली	अधिक दर्शाई गई वसूली
2011—12	21	श्री राजेश कुमार	7000	8000	1000
2014—15	41	श्री राजेश कुमार	5000	6000	1000
				योग	**₹2000**

9. तहबजारी शुल्क की राशि ₹18.58 लाख की वसूली शेष

अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार दिनांक 31.3.2015 तक तहबजारी शुल्क की राशि ₹18,57,900 की वसूली करनी शेष थी जिसका विवरण **परिशिष्ट–''छ''** में दिया गया है। बकाया तहबजारी शुल्क की वसूली हेतु प्रयास किए जायें तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत किया जाए।

10. सफाई शुल्क की राशि ₹2.37 लाख की वसूली शेष

नगर पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार दिनांक 31.3.2015 तक नगर पंचायत द्वारा सफाई शुल्क की राशि ₹2,37,066 की वसूली करनी शेष थी, जिसका विवरण अंकोण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट–''ज''** में दिया गया है। बकाया सफाई शुल्क की राशि की वसूली करके अनुपालना अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

11. स्लाटर हाऊसों से सम्बन्धित फीस वसूली न करने बारे

जाँच में पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा स्लाटर हाऊस से सम्बन्धित फीस वसूली नहीं की गई थी जबकि म्युनिसिपल एक्ट 1994 वाई लाज़ 202(एच) में इस सम्बन्ध में स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं। पंचायत द्वारा इन दिशा निर्देशों की पालना न करने का औचित्य स्पष्ट करते हुए नियमानुसार स्लाटर हाऊस फीस की वसूली सुनिश्चित की जाए। अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

12. स्थापना

श्रीमती हिमाचली देवी पत्नी स्व0 श्री शिव कुमार (सेवानिवृत सचिव) को परिवारिक पैन्शन राशि ₹4.17 लाख का अधिक भुगतान :–

श्री शिव कुमार दिनांक 30.6.2000 को सचिव के पद पर सेवानिवृत हुए व निदेशक, शहररी विकास विभाग के पैन्शन अदायगी आदेश संख्याः 388/2001–02 व पृष्ठांकन संख्याः यू0डी0–एच(बी)10–386/200, दिनांक 13.11.2001 द्वारा दिनांक 01.07.2000 से पैन्शन का निर्धारण निम्न प्रकार से किया :–

पैन्शन	परिवारिक पैन्शन–I (Enhanced rates)	पारिवारिक पैन्शन–II (Ordinary)
₹3,382	₹3,382	₹2,166

पैन्शन अदायगी आदेश द्वारा पारिवारिक पैन्शन–II(Ordinary) श्री शिव कुमार की पत्नी श्रीमती हिमाचली देवी को "Following the day of death of Sh. Shiv Kumar, till the expiry of

7 years or completion of 65 years of age had the retiree survived, which ever is earlier and there after at the rate of Rs. 2,166/- per month" देय थी।

श्री शिव कुमार, पैंशनर दिनांक 21.9.2004 को स्वर्गवास हुए व पारिवारिक पैन्शन–I पैन्शनर की सेवानिवृति के 7 वर्ष तक अर्थात 30.6.2007 तक देय थी व 1.7.2007 से पारिवारिक पैन्शन–II (साधारण ₹4896) ₹2,166 प्रतिमाह (वेतन संशोधन के बाद ₹4,896) देय थी। परन्तु यह पारिवारिक पैन्शन–I अर्थात ₹3,382 (संशोधित ₹7,644) प्रतिमाह की दर से प्रदान की गई जिसके फलस्वरूप **परिशिष्ट–"ङ"** के विवरणानुसार पारिवारिक पैन्शन का ₹4,17,228 का अधिक भुगतान किया गयां अतः अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली सुनिश्चित की जाए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12.1 श्रीमती सोमा शर्मा पत्नी स्व0 श्री किशोर चन्द (सेवा निवृत सचिव) को पारिवारिक पैन्शन राशि ₹0.60 लाख का अधिक भुगतान

श्री किशोर चन्द सेवा निवृत सचिव की जन्म तिथि 8.9.1945 व ऐच्छिक सेवानिवृति दिनांक 30.9.2002 थी। निदेशक शहरी विकास द्वारा पैन्शन अदायगी आदेश संख्याः 478/2002–03 व पृष्ठांकन संख्याः UD-H(B)10/507/2002-13930, दिनांक 21.11.2002 द्वारा पैन्शन का निर्धारण निम्न प्रकार से किया गया :–

पैन्शन	परिवारिक पैन्शन–I (Enhanced rates)	परिवारिक पैन्शन–II (Ordinary)
₹3,226	₹3,226	₹2,513

श्री किशोर चन्द, पैन्शनर दिनांक 24.11.2006 को स्वर्गवास हुए व 25.11.2006 से इनकी पत्नी श्रीमती सोमा शर्मा को पारिवारिक पैन्शन–I, ₹3,226 की संशोधित पैन्शन ₹7,292 निर्धारित हुई। नगर पंचायत द्वारा पारिवारिक पैन्शन से माह 12/06 से कम्यूटिड पैन्शन ₹1,290 की कटौती की गई जो नियमानुसार गलत थी व पारिवारिक पैन्शन से वसूली योग्य नहीं थी।

पैन्शनर की सेवानिवृति दिनांक 30.9.2002 के 7 वर्ष उपरान्त दिनांक 1.10.2009 से पारिवारिक पैन्शन–II (Ordinary) ₹2,513 का संशोधन कर ₹5,681 देय थी लेकिन पारिवारिक पैन्शन–I ₹3,226 की संशोधित पैन्शन ₹7,292, दिनांक 1.10.2009 से 31.7.2015 तक प्रदान की गई। जिसके फलस्वरूप **परिशिष्ट–"झ"** के विवरणानुसार पारिवारिक पैन्शन ₹59,926 का अधिक भुगतान किया गया।

अतः अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए अनुपालना से अकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

13. हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम से सीमेन्ट क्रय न करने के फलस्वरूप नगर पंचायत को वित्तीय हानि

अंकेक्षण अवधि 4/11 से 3/15 तक नगर पंचायत भुन्तर द्वारा हिमाचल प्रदेश राजय नागरिक आपूर्ति निगम से सीमेन्ट की खरीद नहीं की गई। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सीमेन्ट के क्रय के लिए सभी सरकारी विभागों, निगमों व बोर्डों आदि के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य आपूर्ति निगम को नोडल एजैन्सी नियुक्त किया है। जैसा कि हिमाचल प्रदेश राज्य आपूत्रि निगम के पत्र संख्याः एच0पी0एस0सी0एच0पी0प्रो–24(36)आर0सी0 2004–05–18132–187, दिनांक 25.9.2004 में वर्णित है। इस पत्र में स्पष्ट है कि सीमेन्ट की आपूर्ति खुले बाजार से ₹40 कम दर पर दर संविदा के आधार पर की जाएगी जिसके फलस्वरूप नगर निगम, परिषदों तथा नगर पंचायतों द्वारा किए जाने वाले निर्माण/मुरम्मत कार्यो की लागत 25% तक कम हो सके व कार्य की गुणवता प्रभावित न हो सके लेकिन नगर पंचायत द्वारा सीमेन्ट क्रय हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम से न करके संविदाकारों द्वारा सीमेन्ट का क्रय खुले बाजार से उच्च दर पर किया गया। परिणामस्वरूप नगर पंचायत को भारी वित्तीय हानि हुई है।

अतः पंचायत द्वारा सीमेन्ट का क्रय राज्य नागरिक आपूर्ति निगम से न करने के कारणों को स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में सरकारी आदेशानुसार ही सीमेन्ट की खरीद की जानी सुनिश्चित की जाए।

14. संविदाकारों के बिलों से आयकर/अधिभार व विक्रय कर की कटौती राशि ₹1.27 लाख को सरकारी कोष में जमा न करने बारे

अंकेक्षण में विभिन्न निर्माण कार्यों व विभागीय निर्माण कार्यों हेतु खरीद की रेत, बजरी इत्यादि के बिलों की जाँच करने पर पाया गया कि संविदाकारों से आयकर/अधिभार व विक्रय कर की कटौती राशि को सरकारी कोष में जमा किया जाना अपेक्षित था लेकिन निम्न विवरणानुसार यह राशि कोष में जमा ही नहीं की गई।

अतः राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाने के कारणों से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित करते हुए राशि को अविलम्ब जमा करवाया जाए।

Sr. No	V.No/ date	MP No page	Name of Contractor Supplier	Name of work	Work Done Purchase	Deductions			कुल कटौती जो जमा नहीं की
						Income Tax	Sur Charges	Sale Tax	
1	15 8-11	26 69	Sh. Sher Singh	Purchase of Construction Material for	9500	190	29	190	409

				ward No. 5					
2	15 8-11	26 75	Sh. Sher Singh	Purchase of Construction Material for ward No. 5	5600	112	17	112	241
3	16 9-12	26 181-182	Sh. Sher Singh	Purchase of C/o for ward No.1 c/o Path & drain	16900	338	51	338	727
4	24 9-12	26 190-92	Sh. Yash Pal	Foundation work for Latrin at word No. 4	5468	109	16	109	234
5	25 9-12	26 184-189	Sh. Yash Pal	C/o Path at ward no.5	130945	2619	393	2619	5631
6	16 6-13	28 6-7	Sh. Sher Singh	Purchase of Const Material C/o Path & drain W.No.3	36400	728	109	728	1565
7	26 6-13	MB 27-166	Ms Kot Kandi Construction C.o.	C/o Urinal at Ward No. 3	1008600	20172	3025	20172	43369
8	18 4-14	28,29 190-191	Sh. Sher Singh	Purchase of Store for C/o Path & drain at ward no. 1 and 6.	147600	2952	443	2952	6347
9	27 4-14	29 34	Sh. Roop Chand	C/o Rain Shelter at W.No. 1	303460	6069	910	6069	13048
10	9 10-13		Ms Kot Kandi	C/o Latrin at	573221	11464	1720	11464	24648

11	7 / 1-14	28 / 170	Sh. Roop Lal	Ward No. 7 C/o Latrin at Ward No. 7	712141	14243	2137	14243	30623

Total ₹ 126842

15. विभिन्न निर्माण कार्यों से 1% लेबर सैस की राशि ₹0.27 लाख की कटौती न करना

विभिन्न निर्माण कार्यों के बिलों की जाँच करने पर पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा इन बिलों से बिल्डिंग एण्ड अदर कन्सट्रक्शन वर्कस वैलफेयर सैस एक्ट 1996 (Building and other construction workers welfare cess act 1996) के अनुरूप निम्न विवरणानुसार लेबर सैस की राशि ₹27,283 की कटौती नहीं की गई थी।

क्र0 सं0	व0 सं0 व माह	संविदाकार का नाम	कार्य का नाम	कुल निष्पादित कार्य	1% लेबर सैस जिसकी कटौती नहीं की
1	24 / 9/12	श्री यश पाल	C/o path W.No.5	1,30,945	1,309
2	26 / 6/13	मैं0 कोट कंस्ट्रक्शन	C/o Urinal Ward No. 3	10,08,600	10,086
3	27 / 4/14	श्री रूप चन्द	C/o Rain shelter Ward No. 1	3,03,460	3,035
4	9 / 10/13	मैं0 कोट कंस्ट्रक्शन	C/o Latrin Ward No. 7	5,73,221	5,732
5	7 / 1/14	मैं0 रूप चन्द	C/o Latrin Ward No. 7	7,12,141	7,121
				कुल	**₹27,283**

अतः सैस की कटौती नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए राशि की कटौती करने के उपरान्त सम्बन्धित विभाग में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए।

16. Through rate tender में स्टील मद की मात्रा में Wastage दर्शाकर संविदाकार को राशि ₹0.24 लाख का अधिक भुगतान

संविदाकार का नाम	:	मैं0 कोट कण्डी कंस्ट्रक्शन, भुन्तर
वाऊचर संख्या	:	26 माह 6/13, ₹864,371 (अन्तिम बिल)
माप पुस्तिका संख्या	:	27, पृष्ठ–166
कार्य का नाम	:	वार्ड नं0 3 में युरिनल व टायलेटस का निर्माण

उपरोक्त कार्य हेतु स्टील का मापन माप पुस्तिका 27, पृष्ठ–166 पर 3307 किलो किया व 7% wastage इत्यादि जोड़कर 3307 किलो + 231.49 किलो = कुल 3538.49 किलो का ₹60 प्रति

किलो की दर से मद का कुल ₹2,12,309.40 भुगतान किया गया। Through rate tender की मद में wastage सम्मिलित होती है। अतः संविदाकार को 231.49 किलो x ₹60 = 13,889.40 का अधिक भुगतान किया गया।

इस कार्य की माप पुस्तिका 28, पृष्ठ–88 पर स्टील का मापन 1854.57 किलो किया गया व 5% wastage 92.72 किलो का ₹60 की दर से ₹5,563.20 का अनुचित व अधिक भुगतान किया गया। इस प्रकार एक अन्य कार्य C/o Urinals at Ward No. 6 हेतु माप पुस्तिका 28, पृष्ठ–15 में स्टील का मापन 1418 किलो किया व 5% wastage (71 किलो दर्शाकर) ₹67 प्रति किलो की दर से कुल ₹4757 का अधिक भुगतान किया गया। ₹13,889.40 + 5563.20 + 4757 = कुल ₹24,210 की वूसली उचित स्त्रोत से की जाए। अनुपालना से इस विभाग को सूचित किया जाए।

17. औपचारिकताऐं पूर्ण किए बिना स्टील मदों की राशि ₹2.37 लाख का क्रय करना

नगर पंचायत द्वारा निम्न स्टील की मदों (Providing & fixing) के क्रय हेतु वाऊचर संख्याः 4, माह 5/14 द्वारा निम्न व्यय किया गया।

बिल संख्या/दिनांक	संक्षिप्त मद	राशि (₹)
577, दिनांक 16.8.2013	Angle Pole, Pipe etc. in Kgs	1,59,860
579, दिनांक 17.8.2013	Mobile Toilet 7'x3'x7' with tyers	65,200
580, दिनांक 17.8.2013	Stand for 1000 ltrs, Tank 128 kg @ ₹70	11,960
	कुल राशि	**₹2,37,020**

उक्त बिलों का भुगतान औपचारिक्ताओं को पूरा किए बिना ही किया गया। अतः औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार कार्रवाई की जानी सुनिश्चित की जाए।

18. मेला ग्राउण्ड की लेबलिंग पर राशि ₹3.04 लाख का अनियमित व्यय करना

मेला ग्राऊण्ड की लेबलिंग हेतु अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्न व्यय किया गया :–

क्रमांक	वाऊचर संख्याः/माह	व्यय राशि
1	37–6/2011	21,857
2	11–8/2012	22,935
3	20–7/2013	64,425
4	18–9/2013	1,11,200
5	19–6/2014	83,400
	कुल व्यय	**₹3,03,817**

लेबलिंग का कार्य जे0सी0बी0 से मिट्टी बिछाना, रेत व बजरी इत्यादि बिछाने के लिए किया गया। उपरोक्त कार्यों में निम्न अनियमितताऐं पाई गई जिसके अभाव में भुगतान के सत्यता की पुष्टि अंकेक्षण में नहीं की जा सकी।

1. इस कार्य हेतु किसी तकनीकि अधिकारी से प्राकलन तैयार नहीं किया गया व तकनीकी स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई।
2. बिल व वाऊचर माप पुस्तिका में दर्ज न कर सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता व सहायक अभियन्ता से सत्यापित नहीं कराये गए।
3. दरों का औचित्य (Justification of rates) तैयार नहीं किया गया।
4. क्रम संख्याः 4 में दर्शाए गए व्यय ₹1,11,200 हेतु हिमाचल प्रदेश के वित्तीय नियम 98 के नियमानुसार पारदर्शिता नहीं अपनाई गई।

अतः उक्त व्यय को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित कराया जाए। अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

19. भुन्तर बस अड्डा फीस एकत्रीकरण की अनियमित निलामी करना

भुन्तर बस अड्डा फीस की निलामी हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम 98 की अनदेखी कर कुटेशनों के आधार पर की गई। नगर पंचायत द्वारा तैयार की गई विवरणी **परिशिष्ट–"ट"** के अनुसार निलामी निम्न प्रकार से की गई।

क्रम संख्या	अवधि	संविदाकार का नाम	कुल निलामी राशि (₹)
1	22.2.2011 से 21.1.2012	श्री विक्रम सेठ	4,62,000
2	22.1.2012 से 21.2.2012	श्री मन्हास कुमार	7,53,000
3	22.12.2012 से 21.11.2013	श्री राज कुमार	5,21,000
4	22.11.2013 से 21.10.2014	श्री राज मल	8,56,180

यदि नियमानुसार निलामी का विज्ञापन अंखबारों में दिया गया होता तो नीलामी की राशि में बढ़ौतरी सम्भावित थी। अतः बस अड्डा फीस एकत्रीकरण की निलामी को नियमानुसार न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। इसके अतिरिक्त क्रम संख्याः 1 में दर्शित श्री विक्रम सेठ से ₹15,500 की वसूली शेष है जिस बारे गत 4 वर्षों से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। इस राशि की वसूली हेतु ठोस कदम उठाये जाऐं।

20. भुन्तर मेले में तहबाजारी को ठेके पर देने के फलस्वरूप संविदाकारों से राशि ₹0.65 लाख की वसूली शेष

नगर पंचायत द्वारा वर्ष 2013 व 2014 के दौरान भुन्तर मेले में तहबाजारी एकत्रीकरण को ठेके पर दिया था। नगर पंचायत द्वारा **परिशिष्ट–''ठ''** में प्रस्तुत सूचना अनुसार श्री चूनी लाल से वर्ष 2013 के लिए राशि ₹35,000 व श्री तेजा सिंह, संविदाकार से वर्ष 2014 के लिए ₹30,000 के वसूली योग्य शेष था। तहबाजारी के रूप में उपरोक्त संविदाकारों से ₹0.65 लाख की वसूली हेतु ठोस कदम उठाए जाऐं।

21. संविदाकारों से तहबाजारी ₹5.30 लाख की वसूली न करना

नगर पंचायत द्वारा रेहड़ी व फड़ीदार दुकानदारों से तहबाजारी शुल्क के दैनिक एकत्रीकरण हेतु संविदाकारों को वार्षिक ठेका प्रदान किया गया था। नगर पंचायत द्वारा प्रस्तुत सूचना अनुसार इन संविदाकारों से वर्ष 2012–13 व 2013–14 के दौरान वार्षिक ठेका राशि ₹5.30 लाख की वसूली शेष थी विवरण **परिशिष्ट–''ड़''** पर जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

अवधि	संविदकार का नाम	कुल संविदा राशि (₹)	संविदाकार द्वारा जमा राशि (₹)	संविदाकार द्वारा जो राशि जमा ही नहीं की (₹)
15.12.12 से 14.11.13	श्री राजेश कुमार	6,25,000	2,96,250	3,28,750
15.11.13 से 14.11.14	श्री चन्द्र कुमार	3,51,000	1,50,000	2,01,000
				5,29,750

पंचायत द्वारा संविदाकारों से ₹5.30 लाख की वसूली हेतु कोई कदम नहीं उठाये गए। जो अपने आप में एक अति गम्भीर अनियमितता है। **परिशिष्ट** में दर्शित ठेके कुटेशनों के आधार पर प्रदान किए गए जबकि ₹1.00 लाख से अधिक के कार्य हिमाचल प्रदेश के वित्तीय नियम 98 के अनुसार अखबारों में निविदां आमन्त्रित कर किए जाने अपेक्षित थे जिससे ज्यादा से ज्यादा प्रति स्पर्धा का लाभ उठाया जा सके। इस राशि की वसूली हेतु ठोस कार्यवाही की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

22. अस्थाई अग्रिमों की राशि ₹7.50 लाख समायोजन हेतु शेष

नगर पंचायत के अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि दिनांक 31.3.2015 तक विभिन्न कर्मचारियों को माह जून में आयोजित होने वाले मेले के आयोजन हेतु निम्न अग्रिम प्रदान किए गए जिनका समायोजन नहीं किया गया है :–

क्रम संख्या	अग्रिम प्रदान करने की तिथि	जिसे अग्रिम प्रदान किया गया	अग्रिम राशि (₹)
1	25.6.2012	श्री अरूण कुमार	1,50,000
2	30.6.2012	श्री अरूण कुमार	50,000
3	19.6.2013	श्री अरूण कुमार	1,50,000
4	27.6.2013	श्री अरूण कुमार	1,00,000
5	2.7.2013	श्री अरूण कुमार	50,000
6	18.6.2014	श्री अरूण कुमार	1,50,000
7	1.7.2014	श्री अरूण कुमार	1,00,000
		कुल राशि	**₹7,50,000**

अग्रिमों का समायोजन समय पर न करना अपने आप में एक गम्भीर अनियमितता है। अतः अग्रिमों को समय पर समायोजित न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए राशि ₹7.50 लाख का समायेजन शीघ्र किया जाए।

23. सी0पी0एफ0 के खातों के रख–रखाव बारे

नगर पंचायत द्वारा सी0पी0एफ0 के कर्मचारी हिस्सा व नियोक्ता हिस्सा को जोड़कर 2012–13 से लैजर में इक्ट्ठी प्रविष्टि की गई थी व कुल योग राशि कर्मचारियों की पास बुकों में जमा की गई थी। नियोक्ता हिस्सा सचिव नगर पंचायत की पास बुक में अलग जमा किया जाना व लैजरों में कर्मचारी हिस्सा व नियोक्ता हिस्सा की पृथक–पृथक प्रविष्टि की जानी अपेक्षित थी। अतः अपेक्षित कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

24. स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न किया जाना

अभिलेख की जाँच में पाया गया कि नगर पंचायत के स्टॉक स्टोर में पड़े सामान की प्रत्यक्ष सत्यापन (Physical verification) नहीं की गई थी जबकि हिमाचल प्रदेश वित्त नियम की धारा 15.17 के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष स्टॉक में पड़े सामान की प्रत्यक्ष सत्यापना करवाई जानी अपेक्षित थी। अतः नियमों की अवहेलना करके प्रत्येक वर्ष स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न करवाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अविलम्ब प्रत्यक्ष सत्यापन करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवायें तथा भविष्य में प्रत्येक सत्यापन करवाना सुनिश्चित किया जाए।

25. **लघु आपत्ति विवरणिका :–** यह अलग से जारी नहीं की गई है।

26. **निष्कर्ष :–** लेखों में अत्याधिक सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009

पृष्ठांकन संख्याः–फिन(एल0ए0)V(30)/2011-Vol-1468-69 दिनांकः 27.02.16 शिमला–09
प्रतिलिपि निम्न को प्रेषित है :–

1) निदेशक, शहरी विकास, हिमाचल प्रदेश, शिमला–171002 को पैरा 1(ख) में दर्शाई गई आपत्तियों पर अपेक्षित कार्रवाई करने के लिए सचिव को आदेश जारी करने हेतु प्रेषित।

पंजीकृत 2) सचिव, नगर पंचायत भुन्तर, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में उठाई गई आपत्तियों के सटिप्पण उत्तर इस विभाग को प्रतिवेदन जारी होने से एक माह के भीतर प्रेषित करें।

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009

परिशिष्ट—''अ''

नगर पंचायत भुन्तर जिला कुल्लू अंकेक्षण अवधि 4/2011 से 3/2015 के पैरा संख्याः 1(ग) में दर्शित

(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 11/1975 से 3/1981

1.	पैरा 5(i)	अनिर्णीत
2.	पैरा 5(ii)	अनिर्णीत
3.	पैरा 5(iii)	अनिर्णीत
4.	पैरा 6(iii)	अनिर्णीत
5.	पैरा 6(iv)	अनिर्णीत
6.	पैरा 7	अनिर्णीत
7.	पैरा 10(ii)	अनिर्णीत
8.	पैरा 11(ii)	अनिर्णीत
9.	पैरा 12(i)	अनिर्णीत
10.	पैरा 14(ii)	अनिर्णीत
11.	पैरा 15	अनिर्णीत

(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1981 से 3/1982

1.	पैरा 3	अनिर्णीत
2.	पैरा 5(iii)	अनिर्णीत
3.	पैरा 5(iv)	अनिर्णीत
4.	पैरा 6	अनिर्णीत
5.	पैरा 7	अनिर्णीत
6.	पैरा 8	अनिर्णीत
7.	पैरा 9(i)	अनिर्णीत
8.	पैरा 9(ii)	अनिर्णीत
9.	पैरा 11	अनिर्णीत

10.	पैरा 12(i)	अनिर्णीत
11.	पैरा 13(i)	अनिर्णीत
12.	पैरा 13(ii)	अनिर्णीत

(ग) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1982 से 3/1984

1.	पैरा 5(ए)	अनिर्णीत
2.	पैरा 5(सी)(i)	अनिर्णीत
3.	पैरा 5(सी)(ii)	अनिर्णीत
4.	पैरा 5(सी)(iv)	अनिर्णीत
5.	पैरा 5(डी)	अनिर्णीत
6.	पैरा 5(ई)	अनिर्णीत
7.	पैरा 6(i)	अनिर्णीत
8.	पैरा 6(iii)	अनिर्णीत
9.	पैरा 6(vi)	अनिर्णीत
10.	पैरा 7	अनिर्णीत
11.	पैरा 8(iii)	अनिर्णीत
12.	पैरा 9	अनिर्णीत
13.	पैरा 11	अनिर्णीत
14.	पैरा 12	अनिर्णीत
15.	पैरा 16(i)	अनिर्णीत
16.	पैरा 17(i)	अनिर्णीत

(घ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1984 से 3/1985

1.	पैरा 3	अनिर्णीत
2.	पैरा 5(i)	अनिर्णीत
3.	पैरा 5(ii)	अनिर्णीत

4.	पैरा 5(iii)	अनिर्णीत
5.	पैरा 5(iv)	अनिर्णीत
6.	पैरा 5(v)	अनिर्णीत
7.	पैरा 5(vi)	अनिर्णीत
8.	पैरा 5(vii)	अनिर्णीत
9.	पैरा 5(viii)	अनिर्णीत
10.	पैरा 6	अनिर्णीत
11.	पैरा 7	अनिर्णीत
12.	पैरा 8	अनिर्णीत
13.	पैरा 9(ii)	अनिर्णीत
14.	पैरा 9(iii)	अनिर्णीत
15.	पैरा 10(i)	अनिर्णीत
16.	पैरा 10(ii)	अनिर्णीत
17.	पैरा 10(iii)	अनिर्णीत
18.	पैरा 10(iv)	अनिर्णीत
19.	पैरा 11(i)	अनिर्णीत
20.	पैरा 12	अनिर्णीत
21.	पैरा 14(बी)	अनिर्णीत

(ड) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1985 से 03/1986

1.	पैरा 3	अनिर्णीत
2.	पैरा 5(i)	अनिर्णीत
3.	पैरा 5(ii)	अनिर्णीत
4.	पैरा 5(iii)	अनिर्णीत
5.	पैरा 5(iv)	अनिर्णीत

6.	पैरा 5(v)	अनिर्णीत
7.	पैरा 5(vi)	अनिर्णीत
8.	पैरा 5(vii)	अनिर्णीत
9.	पैरा 5(viii)	अनिर्णीत
10.	पैरा 6	अनिर्णीत
11.	पैरा 7(i)	अनिर्णीत
12.	पैरा 7(ii)	अनिर्णीत
13.	पैरा 7(iii)	अनिर्णीत
14.	पैरा 8	अनिर्णीत
15.	पैरा 9	अनिर्णीत
16.	पैरा 10	अनिर्णीत
17.	पैरा 11	अनिर्णीत
18.	पैरा 12(i)	अनिर्णीत
19.	पैरा 12(ii)	अनिर्णीत
20.	पैरा 13	अनिर्णीत
21.	पैरा 14	अनिर्णीत
22.	पैरा 15(iv)	अनिर्णीत

(च) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1986 से 03/1991

1.	पैरा 3	अनिर्णीत
2.	पैरा 4	अनिर्णीत
3.	पैरा 5	अनिर्णीत
4.	पैरा 6	अनिर्णीत
5.	पैरा 7(क)	अनिर्णीत
6.	पैरा 7(ख)(i)	अनिर्णीत

7.	पैरा 7(ख)(ii)	अनिर्णीत
8.	पैरा 7(ख)(iii)	अनिर्णीत
9.	पैरा 8	अनिर्णीत
10.	पैरा 9	अनिर्णीत
11.	पैरा 10	अनिर्णीत
12.	पैरा 11(क)	अनिर्णीत
13.	पैरा 11(ख)	अनिर्णीत
14.	पैरा 11(ग)	अनिर्णीत
15.	पैरा 11(घ)	अनिर्णीत
16.	पैरा 12(क)	अनिर्णीत
17.	पैरा 12(ख)	अनिर्णीत
18.	पैरा 12(ग)	अनिर्णीत
19.	पैरा 13(i)	अनिर्णीत
20.	पैरा 13(ii)	अनिर्णीत
21.	पैरा 13(iii)	अनिर्णीत
22.	पैरा 14	अनिर्णीत
23.	पैरा 15	अनिर्णीत
24.	पैरा 16(क)	अनिर्णीत
25.	पैरा 16(ख)	अनिर्णीत
26.	पैरा 17	अनिर्णीत
27.	पैरा 18(i)	अनिर्णीत
28.	पैरा 18(ii)	अनिर्णीत
29.	पैरा 18(iii)	अनिर्णीत
30.	पैरा 19(क)(i)	अनिर्णीत
31.	पैरा 19(क)(ii)	अनिर्णीत

32.	पैरा 19(क)(iii)	अनिर्णीत
33.	पैरा 19(क)(iv)	अनिर्णीत
34.	पैरा 19(ख)(i)	अनिर्णीत
35.	पैरा 19(ख)(ii)	अनिर्णीत
36.	पैरा 19(ग)	अनिर्णीत
37.	पैरा 19(घ)	अनिर्णीत
38.	पैरा 19(ड़)(i)	अनिर्णीत
39.	पैरा 19(ड़)(ii)	अनिर्णीत
40.	पैरा 19(ड़)(iii)	अनिर्णीत
41.	पैरा 19(ड़)(iv)	अनिर्णीत
42.	पैरा 19(ड़)(v)	अनिर्णीत
43.	पैरा 20(क)	अनिर्णीत
44.	पैरा 20(ख)(i)	अनिर्णीत
45.	पैरा 20(ख)(ii)	अनिर्णीत
46.	पैरा 20(ग)	अनिर्णीत
47.	पैरा 20(घ)	अनिर्णीत
48.	पैरा 20(ड़)	अनिर्णीत
49.	पैरा 20(च)	अनिर्णीत
50.	पैरा 20(छ)	अनिर्णीत
51.	पैरा 20(ज)	अनिर्णीत
52.	पैरा 20(झ)	अनिर्णीत
53.	पैरा 20(ञ)	अनिर्णीत
54.	पैरा 20(प)	अनिर्णीत
55.	पैरा 20(फ)	अनिर्णीत
56.	पैरा 20(व)	अनिर्णीत

57.	पैरा 21(क)	अनिर्णीत
58.	पैरा 21(ख)	अनिर्णीत
59.	पैरा 21(ग)	अनिर्णीत
60.	पैरा 21(घ)	अनिर्णीत
61.	पैरा 21(ङ)	अनिर्णीत
62.	पैरा 22(क)(i)	अनिर्णीत
63.	पैरा 22(क)(ii)	अनिर्णीत
64.	पैरा 22(क)(iii)	अनिर्णीत
65.	पैरा 22(ख)	अनिर्णीत
66.	पैरा 22(ग)(i)	अनिर्णीत
67.	पैरा 22(ग)(ii)	अनिर्णीत
68.	पैरा 22(घ)	अनिर्णीत
69.	पैरा 22(ङ)	अनिर्णीत
70.	पैरा 22(च)	अनिर्णीत
71.	पैरा 22(छ)	अनिर्णीत
72.	पैरा 22(ज)	अनिर्णीत
73.	पैरा 22(झ)	अनिर्णीत
74.	पैरा 22(ञ)	अनिर्णीत
75.	पैरा 22(ट)	अनिर्णीत
76.	पैरा 23(क)(i)	अनिर्णीत
77.	पैरा 23(क)(ii)	अनिर्णीत
78.	पैरा 23(ख)	अनिर्णीत
79.	पैरा 24	अनिर्णीत
80.	पैरा 25	अनिर्णीत
81.	पैरा 27	अनिर्णीत

(छ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1991 से 03/1994

1.	पैरा 6(ख)	अनिर्णीत
2.	पैरा 7(ii)	अनिर्णीत
3.	पैरा 7(iii)	अनिर्णीत
4.	पैरा 8(i)	अनिर्णीत
5.	पैरा 9(i)	अनिर्णीत
6.	पैरा 9(ii)	अनिर्णीत
7.	पैरा 11	अनिर्णीत
8.	पैरा 14(i)	अनिर्णीत
9.	पैरा 14(ii)	अनिर्णीत
10.	पैरा 14(iii)	अनिर्णीत
11.	पैरा 14(iv)	अनिर्णीत
12.	पैरा 14(vi)	अनिर्णीत
13.	पैरा 14(x)	अनिर्णीत
14.	पैरा 15(2)(ii)	अनिर्णीत
15.	पैरा 15(4)(i)	अनिर्णीत
16.	पैरा 15(4)(ii)	अनिर्णीत
17.	पैरा 15(4)(iii)	अनिर्णीत
18.	पैरा 15(4)(iv)	अनिर्णीत
19.	पैरा 15(4)(v)	अनिर्णीत
20.	पैरा 15(5)(i)	अनिर्णीत
21.	पैरा 15(5)(ii)	अनिर्णीत
22.	पैरा 15(5)(iii)	अनिर्णीत
23.	पैरा 17	अनिर्णीत

24.	पैरा 18(प)	अनिर्णीत

(ज) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1994 से 03/1998

1.	पैरा 6(i)	अनिर्णीत
2.	पैरा 6(ii)	अनिर्णीत
3.	पैरा 6(iii)	अनिर्णीत
4.	पैरा 6(iv)	अनिर्णीत
5.	पैरा 6(v)	अनिर्णीत
6.	पैरा 7(क)	अनिर्णीत
7.	पैरा 7(ख)	अनिर्णीत
8.	पैरा 8(i)	अनिर्णीत
9.	पैरा 9(i)	अनिर्णीत
10.	पैरा 9(ii)	अनिर्णीत
11.	पैरा 9(iii)	अनिर्णीत
12.	पैरा 9(iv)	अनिर्णीत
13.	पैरा 10	अनिर्णीत
14.	पैरा 12	अनिर्णीत
15.	पैरा 14	अनिर्णीत
16.	पैरा 15(i)	अनिर्णीत
17.	पैरा 15(iii)	अनिर्णीत
18.	पैरा 15(viii)	अनिर्णीत
19.	पैरा 16(i)(i)	अनिर्णीत
20.	पैरा 16(i)(ii)	अनिर्णीत
21.	पैरा 16(i)(iii)	अनिर्णीत
22.	पैरा 16(i)(iv)	अनिर्णीत

23.	पैरा 16(i)(v)	अनिर्णीत
24.	पैरा 16(i)(vi)	अनिर्णीत
25.	पैरा 16(i)(vii)	अनिर्णीत
26.	पैरा 16(2)	अनिर्णीत
27.	पैरा 18(1)	अनिर्णीत
28.	पैरा 18(3)	अनिर्णीत
29.	पैरा 18(7)	अनिर्णीत

(झ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1998 से 03/2003

1.	पैरा 5(1)	अनिर्णीत
2.	पैरा 5(2)	अनिर्णीत
3.	पैरा 5(3)	अनिर्णीत
4.	पैरा 5(4)	अनिर्णीत
5.	पैरा 6(क)	अनिर्णीत
6.	पैरा 6(ख)	अनिर्णीत
7.	पैरा 6(ग)	अनिर्णीत
8.	पैरा 7(i)	अनिर्णीत
9.	पैरा 7(ii)	अनिर्णीत
10.	पैरा 8(i)	अनिर्णीत
11.	पैरा 8(ii)	अनिर्णीत
12.	पैरा 8(iii)	अनिर्णीत
13.	पैरा 8(iv)	अनिर्णीत
14.	पैरा 9(i)	अनिर्णीत
15.	पैरा 9(ii)	अनिर्णीत
16.	पैरा 10(1)	अनिर्णीत

17.	पैरा 10(2)	अनिर्णीत
18.	पैरा 10(3)	अनिर्णीत
19.	पैरा 10(4)	अनिर्णीत
20.	पैरा 10(5)	अनिर्णीत
21.	पैरा 10(6)	अनिर्णीत
22.	पैरा 10(7)	अनिर्णीत
23.	पैरा 10(8)	अनिर्णीत
24.	पैरा 10(9)	अनिर्णीत
25.	पैरा 10(10)(i)	अनिर्णीत
26.	पैरा 10(10)(ii)	अनिर्णीत
27.	पैरा 11(i)	अनिर्णीत
28.	पैरा 11(ii)	अनिर्णीत
29.	पैरा 12(1)	अनिर्णीत
30.	पैरा 12(2)	अनिर्णीत
31.	पैरा 13	अनिर्णीत

(ण) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2003 से 03/2007

1.	पैरा 3	अनिर्णीत
2.	पैरा 4(i)	अनिर्णीत
3.	पैरा 4(ii)	अनिर्णीत
4.	पैरा 4(iii)	अनिर्णीत
5.	पैरा 4(iv)	अनिर्णीत
6.	पैरा 4(v)	अनिर्णीत
7.	पैरा 4(vi)	अनिर्णीत
8.	पैरा 4(vii)	अनिर्णीत

9.	पैरा 4(viii)	अनिर्णीत
10.	पैरा 4(ix)	अनिर्णीत
11.	पैरा 4(x)	अनिर्णीत
12.	पैरा 4(xi)	अनिर्णीत
13.	पैरा 5	अनिर्णीत
14.	पैरा 5(i)	अनिर्णीत
15.	पैरा 5(ii)	अनिर्णीत
16.	पैरा 5(iii)	अनिर्णीत
17.	पैरा 5(iv)	अनिर्णीत
18.	पैरा 5(v)	अनिर्णीत
19.	पैरा 5(vi)	अनिर्णीत
20.	पैरा 5(vii)	अनिर्णीत
21.	पैरा 5(viii)	अनिर्णीत
22.	पैरा 5(ix)	अनिर्णीत
23.	पैरा 5(x)	अनिर्णीत
24.	पैरा 5(xi)	अनिर्णीत
25.	पैरा 5(xii)	अनिर्णीत
26.	पैरा 5(xiii)	अनिर्णीत
27.	पैरा 5(xiv)	अनिर्णीत
28.	पैरा 5(xv)	अनिर्णीत
29.	पैरा 5(xvi)	अनिर्णीत
30.	पैरा 5(xvii)	अनिर्णीत
31.	पैरा 5(xviii)	अनिर्णीत
32.	पैरा 5(xix)	अनिर्णीत
33.	पैरा 5(xx)	अनिर्णीत

34.	पैरा 5(xxi)	अनिर्णीत	
35.	पैरा 5(xxii)	अनिर्णीत	
36.	पैरा 5(xxiii)	अनिर्णीत	
37.	पैरा 5(xxiv)	अनिर्णीत	

(ट) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2007 से 03/2011

1.	पैरा 2	निर्णीत	
2.	पैरा 4	निर्णीत	(पुनः संशोधित प्रारूपित)
3.	पैरा 5	निर्णीत	(पुनः संशोधित प्रारूपित)
4.	पैरा 6	अनिर्णीत	
5.	पैरा 7	निर्णीत	(पुनः प्रारूपित)
6.	पैरा 8	अनिर्णीत	
7.	पैरा 8.1	अनिर्णीत	
8.	पैरा 8.2	अनिर्णीत	
9.	पैरा 8.3	अनिर्णीत	
10.	पैरा 9	निर्णीत	(पुनः संशोधित प्रारूपित)
11.	पैरा 10	अनिर्णीत	
12.	पैरा 11	अनिर्णीत	
13.	पैरा 12	निर्णीत	(पुनः प्रारूपित)
14.	पैरा 13	निर्णीत	(पुनः प्रारूपित)
15.	पैरा 14	निर्णीत	(पुनः प्रारूपित)
16.	पैरा 15	अनिर्णीत	
17.	पैरा 16	अनिर्णीत	
18.	पैरा 17	अनिर्णीत	
19.	पैरा 18	अनिर्णीत	

20.	पैरा 19	अनिर्णीत	
21.	पैरा 20	अनिर्णीत	
22.	पैरा 21	अनिर्णीत	
23.	पैरा 22	अनिर्णीत	
24.	पैरा 23	अनिर्णीत	
25.	पैरा 24	अनिर्णीत	
26.	पैरा 24.1	अनिर्णीत	
27.	पैरा 24.2	अनिर्णीत	
28.	पैरा 24.3	अनिर्णीत	
29.	पैरा 25(i)	अनिर्णीत	
30.	पैरा 25(ii)	अनिर्णीत	
31.	पैरा 26	अनिर्णीत	
32.	पैरा 27	अनिर्णीत	
33.	पैरा 28	अनिर्णीत	
34.	पैरा 29	अनिर्णीत	
35.	पैरा 30	अनिर्णीत	
36.	पैरा 31	अनिर्णीत	
37.	पैरा 32	अनिर्णीत	
38.	पैरा 33	निर्णीत	(अभिलेख जाँच लिया)